



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042021-226547
CG-DL-E-13042021-226547

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1441]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 12, 2021/चैत्र 22, 1943

No. 1441]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 12, 2021/CHAITRA 22, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2021

का.आ. 1552(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79ए के कि.मी. 16+000 से कि.मी. 35+000 तक और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के कि.मी. 15+000 से कि.मी. 34+400 तक (किशनगढ़ - चित्तौड़ सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/छः लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद, जिला, अजमेर, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79ए के कि.मी. 16+000 से कि.मी. 35+000 तक और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के कि.मी. 15+000 से कि.मी. 34+400 (किशनगढ़ से चित्तौड़गढ़ सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान		जिले का नाम: अजमेर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: नसीराबाद					
गांव का नाम: दिलवाडी					
1	1243/2426	निजी	गै.मु. मैदान	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
गांव का नाम: लवेरा					
1	522	निजी	गै.मु. मैदान	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
कुल				0.0400	0.0400

[फा. सं. NHAI/15022/2/2010/ROJ/LA/2419/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 2021

S.O. 1552(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956)(hereinafter referred to as the said Act.), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule below, is required for building (widening/six-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 79A on the Stretch of land from Km. 16+000 to Km. 35+000 and National Highway No. 79 from 15+000 to Km. 34+400 (Kishangarh to Chittorgarah section) in the District of Ajmer in the State of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely the Sub- Divisional Officer Nasirabad, District Ajmer in writing and shall set out the grounds there of and the competent authority shall given the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid **office of the competent authority**.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 16+000 to Km. 35+000 of the National Highways No. 79A and from Km. 15+000 to Km. 34+400 of National Highway No. 79 (Kishangarh-Chittorgarah Section) in the district of Ajmer in the state of Rajasthan.

State: RAJASTHAN		District: AJMER			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Nasirabad					
Village: Dilwari					
1	1243/2426	Private	Ge.Mu. Medan	0.0200000(Hectare)	0.0200000
Village: Lavera					
1	522	Private	Ge.Mu.Medan	0.0200000(Hectare)	0.0200000
Total				0.0400	0.0400

[F. No. NHAI/15022/2/2010/ROJ/LA/2419/3A]

RAJESH GUPTA, Director